NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 19 /NCRES/20 दिनांक 10.01.2020

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः— लार्सजेस के अन्तर्गत दिनांक 27.11.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु।

सन्दर्भः— (i) NCRES का पत्र दिनांक 26.08.2019, 28.10.2019, 06.12.2019 एवं 09.12.2019

महोदय,

अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र एवं वार्ता में, NCRES लगातार अनुरोध कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार जिस तरह NFRLY., SCRLY., और ECoRLY. ने LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किया है, उसी प्रकार झांसी और आगरा मण्डल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किया जाय, लेकिन खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि आगरा मण्डल ने अपने पत्र सं. P/Agra/Rectt/LARSGESS/Jan 2017 दिनांक 18.12.2019 द्वारा 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये श्री राधेश्याम पुत्र श्री खिलाड़ी को नियुक्ति देने से मना कर दिया है और इसी प्रकार सभी अभ्यर्थियों के पास पत्र भेजकर नियुक्ति देने से मना कर दिया गया है।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि पूरी निष्ठा एवं कड़े परीश्रम के साथ कार्य कर रहे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चे को, जो LARSGESS के तहत 27.10.217 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये थे उन्हे आपसे ही **"न्याय"** मिलने की उम्मीद है, इसलिये कृपया उन्हे नियुक्ति प्रदान किया जाय।

NCRES का पुनः अनुरोध है कि आगरा मण्डल में LARSGESS के अन्तर्गत 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये समस्त अभ्यर्थियों की फाइल हेडक्वाटर मंगाकर, जल्द कार्यवाही कर, नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें अन्यथा कुछ अभ्यर्थियों के पिता 31.01.2020 एवं 28.02.2020 को सेवानिवृत हो जायेगे।

संलग्नः— DPO-III आगरा का पत्र दिनांक 18.12.2019.

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपिः— प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद